प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

का0आ0 सं0–डब्ल्यू0 एम0– II– 62   दिनांक: 20/ 09 / 2023

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक कार्य प्रमंडल, झारखंड ।

विषयः मासिक लेखे ससमय प्रेषित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करते हुए कहना है कि मासिक लेखे कुछ प्रमंडलों द्वारा ससमय इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करने के कारण राज्य सरकार के उस माह के सिविल लेखे में इसे शामिल करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसे प्रधान महालेखाकार ने गंभीरता से लिया है ।

इस संबंध में वित्त विभाग, झारखंड, रॉंची द्वारा भी विभागीय प्रमुखों को ससमय लेखा इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी की गई थी । उसके पश्चात भी आपलोगों के स्तर से ससमय शत प्रतिशत मासिक लेखा प्रेषित नहीं की जा रही है ।

इस आलोक में उप महालेखाकार (कार्य) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ससमय लेखा इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करने वाले प्रमंडलों के चेक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से रोक दी जायेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए मासिक लेखा ससमय इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

सूचनार्थ प्रेषित ।

भवदीय,

ह0/- 20/9/23

वरीय लेखा अधिकारी/डब्ल्यू0 एम0

पो. डोरण्डा, रॉंची – 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda,Ranchi - 834 002 (Jharkhand)
दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582 फैक्स/ Fax : 0651-2411745,
E-mail : agaeJharkhand@cag.gov.in